सन्दर्भ: 2017-12 शरद पूर्णिमा

दिनांक: 05.10.2017

सेवा में,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली

विषय: पर्यटन मंत्रालय ("मंत्रालय ") के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन निवेदन
महोदय/महोदया,
कृपया हिंदी में बिन्दुवार सूचनाएं 30 दिनों के भीतर प्रदान करने का कष्ट करें, कृपया लिफाफे पर और पत्र में मेरा नाम-पता सही-सही अंकित करें:

1. मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाओं के 100 प्रतिशत द्विभाषी संस्करण (सभी द्विभाषी पीडीएफ फाइल सहित) को बनवाने और अद्यतित करवाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी का नाम-पदनाम-ईमेल और फोन नंबर प्रदान करें. उनके द्वारा 100 प्रतिशत द्विभाषी संस्करण बनवाने के लिए उठाए गए कदमों की सूचना प्रदान करें.
2. मंत्रालय को ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने पर जारी होने वाले चालान, ऑटो ईमेल, एसएमएस एलर्ट और विभिन्न भौतिक प्रमाण-पत्र/ऑनलाइन प्रमाण-पत्रों को नाम-शीर्षक आदि सहित 100% द्विभाषी रूप में जारी करवाने के लिए उठाए गए कदमों की सूचना प्रदान करें.
3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार मंत्रालय के मुख्यालय से वर्ष 2017 में द्विभाषी रूप में जारी (क)प्रेस-विज्ञप्तियों, (ख)निविदाओं एवं (ग)कार्यालय आदेशों की अलग-२ संख्या और कुल पृष्ठ संख्या की सूचना प्रदान करे.
4. पिछली तिमाही की राजभाषा अनुपालन की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाएँ.
5. मंत्रालय के मुख्यालय में स्वीकृत सभी राजभाषा पदों एवं कार्यरत राजभाषा अधिकारियों के नाम, पदनाम, वेतनमान एवं उत्तरदायित्व/कर्तव्यों की सूची का विवरण प्रदान करें.
6. मंत्रालय के मुख्यालय में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पिछले एक वर्ष में हिंदी में तैयार किए दस्तावेजों की कुल पृष्ठ संख्या सूचित करें.
7. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए किस स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी है, उससे संबंधित आदेश/निर्देश आदि की प्रति उपलब्ध करवाएं.
8. पिछले एक वर्ष में राजभाषा की प्रगति का निरीक्षण किस स्तर के अधिकारी द्वारा कब-२ किया गया. पिछले एक वर्ष में किए गए राजभाषा कार्यान्वयन के निरीक्षण के बाद प्राप्त हुई रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाएं.
9. मंत्रालय के मुख्यालय में सभी अनुभागों एवं डेस्कों द्वारा प्रयुक्त सभी पत्र-शीर्ष एवं रबर की मुहरों की संख्या बताएँ व नमूने उपलब्ध करवाएं.
10. मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोहों/बैठकों के मेज नामपट्ट केवल अंग्रेजी में बनाए जाते हैं और अधिकतर समारोहों के बैनर भी केवल अंग्रेजी बनाए जाते हैं जो बड़े पैमाने पर हो रहा राजभाषा प्रावधानों उल्लंघन है, इन बैनरों, पोस्टरों व मेज नामपट्ट और पर्यटन पुरस्कारों की शील्ड/प्रमाण-पत्र केवल में छापने की मंजूरी देने वाले अधिकारी का नाम-पदनाम बताएँ और राजभाषा अनुपालन पर ध्यान नहीं दिया जाता है.

धन्यवाद सहित,
आवेदक: प्रवीण जैन